बडखल तहसील के कई रेवन्यू रेकॉर्ड 'गायब', रिश्वत दो तो हर रेकॉर्ड है हाजिर

ऑनलाइन रेकॉर्ड न मिलने, खेवट न होने से इंतकाल दर्ज करने और रजिस्ट्री में जनता को आ रही हैं दिक्कतें

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: बडखल तहसील के तमाम रेवन्यू रेकॉर्ड गायब हो गए हैं। अगर आपको अपने परिवार का रेवन्यू रेकॉर्ड कहीं जमा कराना है, रजिस्ट्री करानी है, मुस्तकिल दर्ज कराना है, खेवट की नकल निकलवानी है तो इनमें से आपका एक भी काम नहीं हो पाएगा। इस वजह से इंतकाल दर्ज करने में लंबा समय लग रहा है। तहसील में आपका राजस्व रेकॉर्ड मिलेगा ही नहीं। बडखल के अलावा जिले की अन्य तहसीलों में भी लगभग यही हाल है। रेकॉर्ड न मिलने से आम लोग बहुत परेशान हैं।

धांधलेबाजी का अड्डा है तहसील

फरीदाबाद जिले का रेवन्यू रेकॉर्ड ऑनलाइन करने की समय सीमा न जाने कब की बीत चुकी है लेकिन इस रेकॉर्ड को दर्ज करने में इतनी लापरवाही बरती गई है कि जनता को उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। बडखल तहसील का सबसे बुरा हाल है। मौजा सारन, बडखल और डबुआ के रेवन्यू रेकॉर्ड में तमाम मुस्तकिल गायब पाए गए हैं। उदाहरण के लिए 50/12 और 68/12 की जमीन का रेकॉर्ड पूरी तरह गायब है। जब तक इसका रेकॉर्ड नहीं मिलेगा, तब तक इसका म्युटेशन नहीं हो सकता और जब तक म्युटेशन मंजूर नहीं होगा, तब तक रजिस्ट्री नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज रिश्वत है। तहसील में बैठे

कर्मचारियों की मुट्ठी गरम करके यह काम कराया जा सकता है। तहसीलदार से लेकर पटवारियों के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि तमाम रेकॉर्ड गायब क्यों हैं और पैसे देने पर वो रेकॉर्ड प्रकट कैसे हो जाते हैं।

बडखल समेत किसी भी तहसील में आप किसी एक कर्मचारी की शिकायत करके इस पूरी चेन को तोड़ नहीं सकते। सारे एक दूसरे की मदद करते हैं और रिश्वत की रकम ईमानदारी से बांट ली जाती है। किसी प्रॉपर्टी की 12 साल पुरानी डिक्री की कोई मान्यता नहीं है। लेकिन अगर कोई रिश्वत देने को तैयार है तो वही 12 साल पुरानी डिक्री को महत्वपूर्ण दस्तावेज बताकर म्युटेशन दर्ज कर दी जाती है। म्युटेशन के लिए कई अन्य दस्तावेज भी मान्य है लेकिन यह तहसीलदार से लेकर पटवारी पर निर्भर है कि वह किस दस्तावेज को स्वीकार करके म्युटेशन दर्ज कर दे। फरीदाबाद के डीसी की भी इन पटवारियों और तहसीलदारों के आगे नहीं चलती। जब तमाम तहसीलों का रेवन्यू रेकॉर्ड आनलाइन किया जा रहा था, तब उस समय बरती जा रही लापरवाही पर जिले के डीसी ने ध्यान दिया होता तो जो हालात आज हैं, वे पैदा नहीं होते।

मुस्तकिल नंबर 51 के तहत आने वाली प्रेस कॉलोनी का मामला तो और भी दिलचस्प है। एमसीएफ ने यहां नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी कर रखे हैं। तमाम कागजात अभी भी हाथ से बने हुए हैं। ये इलाका सौ मीटर दायरे से भी बाहर है। लेकिन बजखल तहसील का तहसील और पटवारी यह मिलकर तय करते हैं कि वे किस दस्तावेज को स्वीकार करेंगे। अगर उनके मुंह से गलती से नहीं निकल गया तो समझिए रिश्वत का रेट बढ़ना तय है। रेवन्यू नियमों के तहत किसी भी इंतकाल को मंजूर या नामंजूर करना तहसीलदार, नायब तहसीलदार के हाथ में है। इसी नियम का फायदा तहसील के अधिकारी-कर्मचारी खुलकर उठा रहे हैं। यही वजह है कि तहसील में किसी कर्मचारी या अधिकारी की तैनाती के समय बोली लगती है और यह बोली सीट के हिसाब से तय की जाती है।

फ्लोर की बंद-खुली रजिस्ट्री

एनआईटी इलाके में बिल्डिंग फ्लोर की रजिस्ट्री सरकारी तौर पर बंद है। हरियाणा सरकार ने रोक लगा रखी है। लेकिन जैसे ही कोई रिश्वत देने को तैयार होता है तो फ्लोर की रजिस्ट्री फौरन खुल जाती है। इसके लिए तहसील के बेईमान कर्मचारी हरियाणा सरकार के गोलमोल आदेश का हवाला देते हैं।

तहसील के कर्मचारी राज्य सरकार के किसी भी आदेश की अपने ढंग से व्याख्या करके नाजायज को जायज और जायज को नाजायज बना देते हैं। भारत-पाकिस्तान बंटवारे के समय वहां से उजड़ कर आए लोगों को सरकार ने तब 233 गज के प्लॉट दिए थे। उसके बाद कई पीढ़ियां आ गईं और उनमें भी आपस में बंटवारा हो गया। इस वजह से तमाम प्लॉटों पर कई-कई फ्लोर बने हुए हैं। मालिकाना हक की स्थिति साफ न होने की वजह से ऐसे फ्लोर की रजिस्ट्री पर रोक है लेकिन पैसे इन प्लॉटों पर बने फ्लोर की भी रजिस्ट्री कराई जा सकती है।

एनआईटी के वकील और समाजसेवी दर्शन लाल कुकरेजा ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में विभागीय मंत्री और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को लिखा था लेकिन अभी तक एनआईटी में रहने वाले पंजाबियों की समस्या का समाधान नहीं किया गया। कुकरेजा का कहना है कि बहुत छोटी-छोटी समस्याओं के कारण एनआईटी के लोग परेशान हैं।

एक मैजिस्ट्रेट ने पुलिसिया काले कारनामे को ढका, तो दूसरे ने उधेड़ कर रख दिया

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

गुड़गांव। मामला थाना मानेसर का है। यहां कुलदीप सिंह ठाकुर की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 323,506,147,148,325 व 379ए के तहत दिनांक दो मार्च को वेद प्रकाश के विरुद्ध मुकदमा नम्बर 59/2021 दर्ज किया। मामला केवल इतना भर था कि कुलदीप मोबाइल पर ज़ोर-ज़ोर से बतियाता हुआ पीजी (पेइंग गेस्ट हाउस) के सामने टहल रहा था तो वहां रहने वाले वेद प्रकाश ने इसका विरोध किया। दोनों के बीच कहा-सुनी हो गयी जो मार-पीट में बदल गयी। कुलदीप ने वे सारे आरोप अपनी कहानी में दोहरा दिये जिन से कुछ हद तक छोटा-मोटा आपराधिक केस बन सकता था। परन्तु जो पुलिस साधारणतया किसी की जायज शिकायत तक दर्ज नहीं करती उस पुलिस ने मामूली कहा-सुनी व मार-पीट पर दिल खोल कर इतनी सारी आईपीसी लाद मारी, कोई साधारण बात नहीं।

पुलिसिया कहानी में कुलदीप कहता है कि मार-पीट के दौरान वेद प्रकाश ने उसका चश्मा तोड़ दिया तथा बटुआ छीन कर अंधेरे में कहीं फेंक दिया। अपनी कहानी को मजबूत करने के लिये कुलदीप ने वेद प्रकाश की पत्नी, बेटी व एक दोस्त को भी मौके पर रख दिया। इतना सब होने पर भी बेशक धारा 379 यानी चोरी भी नहीं बनती, इसके बावजूद पुलिस ने मामले को बड़ा एवं गंभीर बनाने के लिये धारा 379ए लगा दी जो सैशन ट्रायल का केस बनता है। सैशन ट्रायल का सीधा मतलब जमानत में देर लगे यानी ज़्यादा समय जेल में रहे।

आरोपी वेद प्रकाश को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कायदे से ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को एफ़आईआर व केस को समझ कर आरोपों पर कोई निर्णय लेना चाहिये था।

यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो इसमें लगी सभी अनापेक्षित धारायें खासकर 379 ए व 148 तो हटाई ही जा सकती थीं। मजे की बात तो यह रही कि नियमित इलाका मैजिस्ट्रेट अन्तरप्रीत सिंह के पास केस जाने से पहले सरकारी वकील मोनिंदर ने भी तफ़तीशी थानेदार को समझाया कि उसने गलत धारायें लगा रखी हैं, इन्हें ठीक करें; परन्तु वह अपनी ज़िद पर अड़ा रहा और धारायें ठीक करने से साफ़ इंकार कर दिया। जाहिर है तफ़तीशी ने शिकायतकर्ता से इस बाबत कोई सौदा कर रखा था।

अन्ततः जब मामला मैजिस्ट्रेट अंतरप्रीत सिंह के सामने पेश हुआ तो उन्होंने न केवल धारा 379 ए को हटा दिया बल्कि उस तफ़तीशी के विरुद्ध सख्त टिप्पणी में लिखा कि तफ़तीशी ने दुर्भावना से ग्रसित होकर अभियोजन किया है। किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा सैशन जज ट्रायल केस को इस तरह से तोड़ कर मैजिस्ट्रेट ट्रायल में बदलने का मामला शायद ही कभी सामने आता है। परन्तु अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस विभाग अपने ऐसे बेईमान तफ़तीशी थानेदार के साथ क्या बर्ताव करता है ?

बैंकों की हड़तालः सांप निकलने के बाद लकीर पीटने जैसी

फ़रीदाबाद (म.मो.) देश भर के 10 से 15 लाख बैंक कर्मियों ने इस सप्ताह सोमवार व मंगलवार को हड़ताल रखी। इसमें फ़रीदाबाद के बैंककर्मी भी रस्म अदायगी करते नज़र आये। इससे पहले भी लगभग हर साल एक-आध बार इस तरह की रस्मी हड़ताल के बाद ये लोग कोल्हू के बैल की तरह आंखें मूंद कर काम में जुट जाते थे, जैसे अब फ़िर जुट गये हैं।

दरअसल बैंक कर्मियों को जो संकट अपने ऊपर आज नज़र आया है, इसकी तैयारियां तो बीते बीसियों बरस से चल रही थी; हां मोदी सरकार ने उसकी गति को तीव्र से तीव्रतर कर दिया है जिसके चलते संकट गहन से गहनतर होता जा रहा है। आज का कर्मचारी वर्ग यह भूल चुका है कि उनकी ट्रेड यूनियन संगठित होने से पूर्व बैंक कर्मियों की क्या दुर्दशा हुआ करती थी। ट्रेड यूनियन एवं अपनी सामूहिक जुझारू शक्ति के बल पर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन सेवा शर्तों व आर्थिक लाभ प्राप्त किए थे। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे बैंक कर्मी अपने संगठन एवं ट्रेड यूनियन के जुझारूपन से विमुख होते चले गये। वे यह मान बैठे थे कि जो कुछ उन्होंने पा लिया है, उसे अब कोई छीन नहीं सकता। लेकिन उनकी सोच गलत थी। पूंजीपति एवं उद्योगपति सरकार में अपने दखल एवं प्रभाव के चलते लगातार बैंकों में सेंधमारी करने आ रहे थे। बैंकों का पैसा लेकर डकारने लगे, कुछ तो देश छोड़ कर फ़रार भी हो गये। सवाल पैदा यह होता है कि जब बैंकों में सेंधमारी हो रही थी तो बैंक कर्मी क्यों सोये हुए थे ? उनकी यूनियनों ने इस लूट के विरुद्ध क्यों आन्दोलन नहीं किये ? बैंकों में लगातार छटनी होती रही, हर ब्रांच में कर्मचारियों की संख्या लगातार घटाई जाती रही और

काम का बोझ बढ़ता चला गया, उसके विरुद्ध यूनियनों ने क्यों नहीं कड़ा रूख अपनाया ? और तो और इन लोग़ों पर बैंकिंग के अलावा और कई तरह की बेगारें लाद दी गयी और ये लोग चुपचाप उनको ढोते रहे।

जनधन खाते खुलवाने व नोटबंदी के नाम पर जो कार्यभार इन पर डाला गया रात-रात भर जानवरों की तरह काम में जुटे रहे उस वक्त क्यों नहीं अपनी सशक्त आवाज़ बुलंद की ? और तो और इस दौर में कितने ही कर्मचारियों को अपनी जेब से भी भुगतान करना पड़ा, उस वक्त क्यों नहीं नियमानुसार काम करने के लिये आवाज उठाई ? दरअसल उस वक्त ये लोग अपने ट्रेड यूनियन के सिद्धान्तों को भूल कर 'देशभक्ति' में अंधे होकर 'देश हित' में जुटे हुए थे अथवा अपने अधिकारों के लिये लड़े बिना बच कर निकल जाने में ही भलाई समझते थे। ये लोग समझ पाने में असमर्थ रहे कि देश क्या है और उसका हित क्या है। मोदी ने जो दिखाया, जैसा दिखाया वही ये लोग भी देखने लगे थे। इन लोगों ने संघ के फ़ासीवादी चेहरे को पहचानने में बड़ी भूल की थी। आज भी समझने वाली बात यह है देश भर के करोड़ों किसानों के जुझारू संघर्ष के बावजूद यह संघी सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं तो बैंकों की इस छुट-मुट हड़ताल की उसे क्या परवाह है ?

यदि बैंककर्मी अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेकर और अधिक बड़े पैमाने पर कड़ा संघर्ष करने की हिम्मत रखते हैं, किसानों की तरह कुर्बानी माद्दा रखते हैं तो भले ही इस फ़ासीवादी सरकार से पार पा सकते हैं।